

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ जिला चूरु (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ दिनांक 13.09.2024

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या : 75/2023  
निर्णय दिनांक: 13.09.2025  
दायरा दिनांक: 21.07.2023  
जीसीएमएस संख्या- 2023/194

1. मोनिका पुत्री गोपालराम जाति जाट निवासी जैतासर तहसील सुजानगढ जिला चूरु  
.....प्रार्थिनी
- बनाम
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरु  
.....अप्रार्थिनी

प्रार्थना-पत्र धारा 136 एल आर एक्ट


—:निर्णय:—

संक्षिप्त में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थिनी के संयुक्त खातेदारी में तहसील सुजानगढ के रोही जैतासर के खाता संख्या 232 व 583 स्थित है। प्रार्थिनी का नाम उपर्युक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में मोहनी पुत्री गोपालराम जाति जाट निवासी ग्राम जैतासर अंकित है। जबकि प्रार्थिनी का सही व वास्तविक नाम मोनिका पुत्री गोपालराम जाति जाट है। समस्त अन्य दस्तावेजों यथा मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, परिवार कार्ड आदि में भी प्रार्थिनी का सही नाम मोनिका ही दर्ज है।

प्रार्थिनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थिनी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थिनी की खातेदारी भूमि में प्रार्थिनी का नाम दुरुस्त करवाना प्रार्थिनी के लिए आवश्यक है।

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिनी का नाम मोहनी पुत्री गोपालराम है जबकि पअन्य दस्तावेजों में नाम मोनिका पुत्री गोपालराम है। मोहनी व मोनिका दोनों एक ही है अलग-अलग नहीं है। तहसीलदार सुजानगढ द्वारा प्रार्थिनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मोनिका पुत्री गोपालराम किये जाने की अभिशंभा की जाती है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जन आधार कार्ड, आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र आदि में भी प्रार्थिनी का नाम मोनिका में अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ तथा





संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।


—:आदेश:—

प्रार्थिनी का प्रार्थना-पत्र राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि वाके रोही ग्राम जैतासर के खाता संख्या 232 व 583 में दर्ज खातेदार मोहनी पुत्री गोपालराम के स्थान पर मोनिका पुत्री गोपालराम दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2025 को टंकित राष्ट्रीय लोक अदालत में करवाया जाकर में सुनाया गया।

  
न्यायिक अधिकारी  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
सुजानगढ़

  
पैनल अधिवक्ता (सदस्य)  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
सुजानगढ़

  
रेव्यू अधिकारी (सदस्य)  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
सुजानगढ़